



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 11/2025/D-4

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 247078 दिनांक 08/09/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Yakshap Sharma S/o Arun Kumar Sharma एवं Gopal Krishna Sharma S/o Durga Prasad Sharma	श्री गोपाल कृ ृष्ण शर्मा पुत्र दुर्गाप्रसाद शर्मा, अरूण कुमार शर्मा पुत्र धनेन्द्र कुमार शर्मा	404	150.00 SQ. METER	JDA	SEZ KHATEDAR (VILLAGE TILAWAS) Sector/Block-	Issue Free Hold E- Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	सेज पुनर्वास योजना ग्राम टीलावास के आवासीय भूखण्ड संख्या 404 क्षेत्रफल 150 वर्गमीटर की लीजडीड क्रमांक 5479 दिनांक 21.02.2014 को श्री गोपाल कृृष्ण शर्मा पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद शर्मा एवं श्री अरूण कुमार शर्मा पुत्र श्री धनेन्द्र कुमार शर्मा के पक्ष में जारी की गई थी। उक्त लीजडीड अपंजीकृत है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार श्री अरूण कुमार शर्मा पुत्र श्री धनेन्द्र कुमार शर्मा की मृृत्यु दिनांक 18.12.2018 को एवं श्रीमती मंजुलता शर्मा पत्नी श्री अरूण कुमार शर्मा की मृ ृत्यु दिनांक 09.01.2018 को हो चुकी है। आवेदक द्वारा अपलोड शपथ पत्र के अनुसार श्री अरूण कुमार शर्मा पुत्र श्री धनेन्द्र कुमार शर्मा के वारिस (1) यक्षप शर्मा (पुत्र) है।
---	--	--	-----	---------------------	-----	--	--	--



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Yakshap Sharma S/o Arun Kumar Sharma एवं Gopal Krishna Sharma S/o Durga Prasad Sharma को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |